राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
E-mail : rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/वै.शि./ 35-I[5] /CSG दिशा–निर्देश/2023–24/ 1966 दिनांकः– 16/6/23

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिशा–निर्देश सत्र 2023–24

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य–सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2021–22 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग / पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों / शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों / समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, को जारी की जानी है।

1) वित्तीय प्रावधान :–

S.No.	Enrollment as per U-DISE 2021-22	Composite School Grant per School
1	1-30	Rs. 10000 (Including atleast Rs. 1000 for Swachhta Action Plan)
2	31-100	Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan)
3	101-250	Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan)
4	251-1000	Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan)
5	Above 1000	Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan)

नोट :– 1) उपरोक्त तालिका की क्रं.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।
2) मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।

2) कार्य प्रक्रिया :–

1. सर्वप्रथम एसएमसी/एसडीएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. एसएमसी/एसडीएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
4. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
5. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित सन्धारित करें।
6. सीएसजी राशि का उपयोग किया जाकर विद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ब्लॉक कार्यालय द्वारा समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक जिले का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) परिषद् कार्यालय को ई–मेल आईडी smsa.asfe2021@gmail.com पर निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) के अनुसार प्रेषित करेंगे।

3) विद्यालय स्तर :– कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

क्रस	कार्यपयोग विवरण	क्रस	कार्यपयोग विवरण
1	दरी पट्टी/दरी।	9	चॉक, डस्टर।
2	परीक्षा सम्बन्धी स्टेशनरी।	10	एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।

SVS

3	पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय, पंखा।
4	इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
5	प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री / उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।
6	श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
7	प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु।
8	अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाडू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
11	शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
12	छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च।
13	अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
14	शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
15	वार्षिक टूट–फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
16	विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
	विशेष – परिषद कार्यालय द्वारा गत सत्र में शिक्षक दैनन्दिनी उपलब्ध करवायी गयी है। पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुये इसके सभी पृष्ठों का उपयोग करें।

4) **विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान** :– कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में कम से कम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा :–

क्रस	कार्यापयोग विवरण
1	विद्यालय के शौचालय / मूत्रालयों का नियमित उपयोग एंव रख–रखाव।
2	शौचालय / मूत्रालयों की साफ–सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए।
3	शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
4	शौचालय /मूत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखवाने के लिए।
5	बालिका शौचालय के साथ डिसपेंसर एवं इन्सीनरेटर रिपेयर के लिए।
6	विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
7	बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
8	कक्षा–कक्षों एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
9	पेयजल स्त्रोत की रिपेयरिंग कराने के लिए।
10	सैनेटाईजर, साबुन

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अंन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाये। अति–आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

4.1) **कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जाये –**

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/ स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

5) ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
2. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
3. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
4. आईसीटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

6) **दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय** :–

1. राज0 स्कूल शिक्षा परिषद से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के तीन दिवस में राशि को ब्लॉक कार्यालयों को हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करें एवं विद्यालय स्तर तक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु

व्यक्तिशः मॉनीटरिंग करें। विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।

2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि डाइस 2021–22 के नामांकन अनुसार विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करवाना।
3. विद्यालयों को जारी की गयी राशि एवं दिनांक से विद्यालयों को अवगत करवाना ताकि संस्था प्रधान द्वारा राशि का उपयोग यथा समय किया जा सके।
4. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाना।
5. पीईईओ/यूसीईईओ से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सीबीईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
6. जिले का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

7) दायित्व सीबीईओ कार्यालय :–

1. जिला कार्यालय से राशि आहरण स्वीकृति के तीन दिवस में ब्लॉक के समस्त विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें। **विलम्ब की स्थिति में परिषद कार्यालय अथवा निदेशालय स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।**
2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
4. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ से वित्तीय वर्ष 2023–24 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

8) दायित्व पीईईओ/यूसीपीईईओ (सीआरसी) कार्यालय :–

1. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा–निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग करवाना एवं विद्यालयों को जारी राशि के उपयोग की सतत् मॉनीटरिंग करना।
2. वित्तीय वर्ष 2023–24 में अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सीबीईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

9) दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :–

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हीकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी/एसएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हों तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

विशेष – **परिषद कार्यालय से एस.एन.ए. से राशि आहरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यालय तीन दिवस में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक/पीईईओ, यूसीईईओ/विद्यालय को राशि आहरण की स्वीकृति जारी** करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10) लेखा सम्बन्धी बिन्दु :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

SVS

परिशिष्ट–2

Costing Sheet - Composite School Grant (Elementary) 2023-24

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	214	21.400	608	152.000	449	224.500	55	41.250	1326	439.1500
2	ALWAR	320	32.000	989	247.250	617	308.500	102	76.500	2028	664.2500
3	BANSWARA	813	81.300	1385	346.250	469	234.500	73	54.750	2740	716.8000
4	BARAN	530	53.000	505	126.250	235	117.500	13	9.750	1283	306.5000
5	BARMER	984	98.400	2128	532.000	894	447.000	70	52.500	4076	1129.9000
6	BHARATPUR	145	14.500	583	145.750	431	215.500	54	40.500	1213	416.2500
7	BHILWARA	452	45.200	1159	289.750	662	331.000	33	24.750	2306	690.7000
8	BIKANER	514	51.400	698	174.500	317	158.500	46	34.500	1575	418.9000
9	BUNDI	196	19.600	509	127.250	265	132.500	12	9.000	982	288.3500
10	CHITTAURGARH	322	32.200	698	174.500	380	190.000	7	5.250	1407	401.9500
11	CHURU	210	21.000	358	89.500	302	151.000	23	17.250	893	278.7500
12	DAUSA	317	31.700	576	144.000	281	140.500	4	3.000	1178	319.2000
13	DHAULPUR	96	9.600	397	99.250	287	143.500	68	51.000	848	303.3500
14	DUNGARPUR	765	76.500	1084	271.000	384	192.000	43	32.250	2276	571.7500
15	GANGANAGAR	611	61.100	607	151.750	232	116.000	5	3.750	1455	332.6000
16	HANUMANGARH	184	18.400	306	76.500	218	109.000	19	14.250	727	218.1500
17	JAIPUR	964	96.400	1250	312.500	512	256.000	50	37.500	2776	702.4000
18	JAISALMER	402	40.200	454	113.500	221	110.500	18	13.500	1095	277.7000
19	JALOR	197	19.700	791	197.750	408	204.000	79	59.250	1475	480.7000
20	JHALAWAR	316	31.600	666	166.500	361	180.500	15	11.250	1358	389.8500
21	JHUNJHUNU	483	48.300	427	106.750	92	46.000	7	5.250	1009	206.3000
22	JODHPUR	850	85.000	1360	340.000	561	280.500	43	32.250	2814	737.7500
23	KARAULI	287	28.700	548	137.000	254	127.000	27	20.250	1116	312.9500
24	KOTA	165	16.500	384	96.000	208	104.000	15	11.250	772	227.7500
25	NAGAUR	821	82.100	910	227.500	518	259.000	26	19.500	2275	588.1000
26	PALI	279	27.900	585	146.250	428	214.000	41	30.750	1333	418.9000
27	PRATAPGARH	541	54.100	673	168.250	271	135.500	24	18.000	1509	375.8500
28	RAJSAMAND	277	27.700	766	191.500	357	178.500	18	13.500	1418	411.2000
29	SAWAI MADHOPUR	143	14.300	403	100.750	222	111.000	11	8.250	779	234.3000
30	SIKAR	482	48.200	609	152.250	246	123.000	10	7.500	1347	330.9500
31	SIROHI	140	14.000	337	84.250	255	127.500	30	22.500	762	248.2500
32	TONK	396	39.600	545	136.250	225	112.500	4	3.000	1170	291.3500
33	UDAIPUR	948	94.800	1890	472.500	761	380.500	85	63.750	3684	1011.5500
	Grand Total	14364	1436.400	25188	6297.000	12323	6161.500	1130	847.500	53005	14742.4000

SVS

परिशिष्ट–2

Costing Sheet - Composite School Grant (Secondary) 2023-24

Sno.	District	(Enrol 1-30)	Fin. in lac per school @0.10 lac	(Enrol >31 - 100)	Fin. in lac per school @0.25 lac	(Enrol > 100 and <= 250)	Fin. in lac per school @0.50 lac	(Enrol > 250 and <= 1000)	Fin. in lac per school @0.75 lac	(Enrol >= 1000)	Fin. in lac per school @1.0 lac	Total school	Total Fin. in lac
1	AJMER	0	0.000	6	1.500	70	35.000	442	331.500	16	16.000	534	384.0000
2	ALWAR	2	0.200	32	8.000	261	130.500	501	375.750	9	9.000	805	523.4500
3	BANSWARA	0	0.000	1	0.250	58	29.000	389	291.750	14	14.000	462	335.0000
4	BARAN	0	0.000	4	1.000	89	44.500	215	161.250	4	4.000	312	210.7500
5	BARMER	2	0.200	7	1.750	126	63.000	587	440.250	6	6.000	728	511.2000
6	BHARATPUR	0	0.000	9	2.250	151	75.500	388	291.000	12	12.000	560	380.7500
7	BHILWARA	0	0.000	2	0.500	100	50.000	470	352.500	9	9.000	581	412.0000
8	BIKANER	1	0.100	7	1.750	63	31.500	368	276.000	16	16.000	455	325.3500
9	BUNDI	0	0.000	3	0.750	54	27.000	219	164.250	5	5.000	281	197.0000
10	CHITTAURGARH	1	0.100	6	1.500	131	65.500	274	205.500	1	1.000	413	273.6000
11	CHURU	1	0.100	10	2.500	159	79.500	339	254.250	10	10.000	519	346.3500
12	DAUSA	0	0.000	7	1.750	119	59.500	253	189.750	10	10.000	389	261.0000
13	DHAULPUR	0	0.000	1	0.250	36	18.000	242	181.500	12	12.000	291	211.7500
14	DUNGARPUR	1	0.100	3	0.750	51	25.500	345	258.750	6	6.000	406	291.1000
15	GANGANAGAR	2	0.200	21	5.250	174	87.000	289	216.750	4	4.000	490	313.2000
16	HANUMANGARH	0	0.000	6	1.500	94	47.000	265	198.750	4	4.000	369	251.2500
17	JAIPUR	1	0.100	39	9.750	355	177.500	573	429.750	27	27.000	995	644.1000
18	JAISALMER	0	0.000	3	0.750	46	23.000	146	109.500	3	3.000	198	136.2500
19	JALOR	0	0.000	1	0.250	45	22.500	343	257.250	9	9.000	398	289.0000
20	JHALAWAR	0	0.000	8	2.000	71	35.500	245	183.750	6	6.000	330	227.2500
21	JHUNJHUNU	1	0.100	56	14.000	291	145.500	191	143.250	1	1.000	540	303.8500
22	JODHPUR	0	0.000	10	2.500	137	68.500	580	435.000	10	10.000	737	516.0000
23	KARAULI	0	0.000	5	1.250	71	35.500	249	186.750	2	2.000	327	225.5000
24	KOTA	0	0.000	6	1.500	90	45.000	222	166.500	5	5.000	323	218.0000
25	NAGAUR	2	0.200	5	1.250	228	114.000	528	396.000	5	5.000	768	516.4500
26	PALI	0	0.000	7	1.750	140	70.000	354	265.500	4	4.000	505	341.2500
27	PRATAPGARH	0	0.000	1	0.250	20	10.000	188	141.000	5	5.000	214	156.2500
28	RAJSAMAND	0	0.000	3	0.750	53	26.500	251	188.250	3	3.000	310	218.5000
29	SAWAI MADHOPUR	0	0.000	2	0.500	76	38.000	230	172.500	6	6.000	314	217.0000
30	SIKAR	1	0.100	25	6.250	262	131.000	351	263.250	8	8.000	647	408.6000
31	SIROHI	0	0.000	2	0.500	19	9.500	217	162.750	2	2.000	240	174.7500
32	TONK	1	0.100	8	2.000	101	50.500	227	170.250	7	7.000	344	229.8500
33	UDAIPUR	0	0.000	13	3.250	128	64.000	609	456.750	4	4.000	754	528.0000
	TOTAL	16	1.600	319	79.750	3869	1934.500	11090	8317.500	245	245.000	15539	10578.3500

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम .... यू डाईस कोड...............................

ब्लॉक कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट प्राप्त राशि .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023–24 में विद्यालय को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि रू .... में से राशि .... का उपयोग एसएमसी /एसडीएमसी के द्वारा कर लिया है।

क्र.सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/संख्या	दर	राशि (रूपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .... दिनांक .... के अनुरूप क्रय की गई है, जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक .... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय डाइस 2021–22 के अनुसार शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति / विद्यालय प्रबन्धन समिति

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (पीईईओ/यूसीईईओ) उपयोगिता प्रमाण–पत्र

कार्यालय पीईईओ/यूसीईईओ .... ब्लॉक .... जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023–24 में सीबीईओ कार्यालय से पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ निम्नलिखित विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा कर लिया है। विद्यालयवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	PEEO / UCEEO	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	यू–डाईस	विद्यालय को ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा उपयोग ली गयी राशि

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
....

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (ब्लॉक कार्यालय स्तर)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023–24 हेतु जिला कार्यालय से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में कुल .... राशि प्राप्त हुयी। प्राप्त राशि में से विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गयी।

ब्लॉक कार्यालय के अधिनस्थ .... प्राथमिक, ... उच्च प्राथमिक, ... माध्यमिक एवं ....उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपयोग कर लिया गया है। निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है :–

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि उपयोग का विरण								
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार PS/UPS / Sec./ Sr.Sec.	ब्लॉक में विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों को जारी राशि	विद्यालयों द्वारा उपयोग ली गयी राशि	विद्यालय पर राशि उपयोग पश्चात अधिशेष राशि	ब्लॉक कार्यालय पर अधशेष राशि	विद्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय पर संकल अधिशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
योग								

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

SVL

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (जिला स्तर)
उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2023–24 में जिला .... को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये .... में से कुल .... प्राथमिक, कुल .... उच्च प्राथमिक, कुल .... माध्यमिक एवं कुल .... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .... राशि जारी की गई एवं .... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या .... पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा SNA से राशि आहरण एवं उपयोग की प्रविष्टि एम.पी.आर. एवं प्रबन्ध पोर्टल पर की गयी है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर सहायक परियोजना समन्वयक / प्रभारी	हस्ताक्षर सहायक लेखाधिकारी
हस्ताक्षर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	हस्ताक्षर जिला परियोजना समन्वयक

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः– रास्कूलशिप / जय / औ.शि. / F- 35-I / CSG दिशा–निर्देश–2023–24 / 1966 दिनांक : 16/6/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3- निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक / सीडीईओ / जि.शि.अ. प्रा. एवं मा. / सीबीईओ / पीईईओ / यूसीपीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करायें।
4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम / द्वितीय), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6- उपायुक्त, योजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7- समस्त जिला प्रभारी अधिकारीगण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8- समस्त जिला परियोजना समन्वयक / अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय।
9- कार्यालय उपयोग हेतु।

Signature valid
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Designation : Commissioner
Date: 2023.06.16 13:10:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4066284